HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 13921/2026
CNR: RJHC020719422026 | URN: CW / 30189U / 2026

1. Menka Daughter Of Shri Suresh Kumar, Aged About 21 Years, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu, At Present Resident Of Village Naurangabad, Tehsil Tijara, District Khairthal Tijara (Raj.)
2. Kamal Yadav Son Of Shri Sandeep Yadav, Aged About 19 Years, Resident Of Village Naurangabad, Tehsil Tijara, District Khairthal Tijara (Raj.)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Principal Secretary, Department Of Home Affairs, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)
2. The Director General Of Police, Police Head Quarter, Lal Kothi, Jaipur (Raj.)
3. Superintendent Of Police, Bhiwadi, Police District Bhiwadi (Raj.)
4. S.h.o. Police Station Tijara, Police District Bhiwadi, District Khairthal Tijara (Raj.)
5. Suresh Kumar Son Of Manohar Lal, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)
6. Manju Wife Of Suresh Kumar, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)
7. Manohar Lal Son Of Unknown, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)
8. Hemant Yadav Son Of Mahendra, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)
9. Yogesh Son Of Ramanand, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)
10. Mahendra Son Of Bhagirath Lal, Resident Of Village Bhairugarh, Tehsil Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajnikant Tijara
For Respondent(s) : Mr. R.S.Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/07/2026

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 10 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 4 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचिकाकार दोनों अविवाहित एवं वयस्क हैं तथा वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोई भी पक्षकार पूर्व में कहीं अन्य विवाहित नहीं रहा है। उनके मध्य इस सम्बन्ध में इकरारनामा भी लेखबद्ध हुआ है, जिसकी प्रति पेश की गई है। याची संख्या–1 मेनका की जन्मतिथि उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं की अंकतालिका की प्रति के अनुसार 29.10.2005 एवं याची संख्या–2 कमल यादव की जन्म तिथि उसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दसवीं की अंकतालिका की प्रति के अनुसार 05.12.2007 है, जो उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों से प्रकट हो रही है। अयाची संख्या–5 लगायत 10 इससे खुश नहीं हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं तथा याचीगण की जान एवं स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है। अतः उन्हें अयाची संख्या–5 लगायत 10 से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे। उनका यह भी कथन है कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनकी ओर से सम्बन्धित नोडल अधिकारी/थानाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निवेदन–पत्र/प्रतिवेदन परिशिष्ट–4 पंजीकृत डाक से प्रेषित कर दिया है।

उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने इस प्रकार के मामलों में अयाचीगण को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि वे याचीगण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करें तथा अन्य वांछित समुचित कदम उठावें।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य–बनाम–यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू–बनाम–कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा– बनाम–वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान–बनाम–असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पु. लिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भावि. कता व सत्यता के सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी व निष्कर्ष दिए बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए न्यायालय यह उचित पाती है कि अयाची संख्या–1 लगायत 4 को यह निर्देश दिए जावें कि वे याचीगण की ओर से प्रेषित पत्र परिशिष्ट–4 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के सम्बन्ध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

इसी अनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरूद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J

30/AJAY KUMAR SINGHAL